CULTURAL EXCHANGE PROGRAMME
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SEYCHELLES
FOR THE YEARS 2026-2030

The Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Seychelles (hereinafter jointly referred to as the "Participants" and separately as a "Participant");

Recalling the 'Cultural Cooperation Agreement between the Government of the Republic of Seychelles and the Government of the Republic of India', signed in New Delhi on the 22nd of December 1987 and;

Recognising the continuous implementation of that Agreement;

Desiring to strengthen the friendly links between the Participants so as to deepen cultural relations between them;

Have decided on the following Cultural Exchange Programme for the period from 2026 to 2030:

Paragraph1
Music and Dance

The Participants will exchange music and dance ensembles and/or individual performing artists including classical and folk troupes for a period not exceeding ten (10) days each. Dates and other details of such exchange will be jointly decided upon by the Participants through diplomatic channels.

Paragraph 2
Theatre

a) The Participants will encourage and facilitate the exchange of theatre performances in both countries and participate in local and International theatre festivals on jointly decided provisions.

b) The Participants will exchange theatre journals and publications on a reciprocal basis between the two countries on jointly decided provisions.

Paragraph 3
Art

The Participants will exchange contemporary and modern art exhibitions on reciprocal basis on mutually agreed terms.

Paragraph 4
Exhibitions, Seminars and Conference

Each Participant will invite experts from the other Participant to participate in international seminars, symposiums, conferences, camps, residencies amongst other forums on culture and arts.

Paragraph 5
Archaeology

a) Both Participants will support cooperation in the field of protection, conservation and promotion of the cultural heritage of both countries.

b) The Participants will exchange one expert each in the field of protection and conservation of ancient monuments and archaeological sites, art objects and development of archaeological site museums for a two-week period, details of which will be mutually decided upon by the Participants through diplomatic channels.

Paragraph 6
Archives

a) The Participants will promote exchange of information and documentation concerning the history of Seychelles in the archives of India and the history of India in the archives of Seychelles, as well as copies of documents, including in digital form, that are of interest to both Participants The Modalities of the exchanges will be worked out through mutual consultations.

b) The Participants will exchange experts for a period of one week in each case, in the field of Records Management, Archives Administration and Conservation of Records, digitization and digital preservation of records.

c) The National Archives of India will provide professional training facilities to officials and students of Seychelles in the courses run by the School of Archival Studies. Similarly, the Participants will promote cooperation between the National Archives of Seychelles and the National Archives of India through the exchange of skills and expertise in archival conservation, particularly in relation to the establishment and development of new archival infrastructure in Seychelles

Paragraph 7
Library

a) Both Participants will exchange publications and other reading materials of mutual interest to both Participants on a reciprocal basis.

b) The Participants will assist on the exchange of visits of library experts reciprocally with a view to promote library activities between both the countries. Details will be finalized through diplomatic channels.

Paragraph 8
Museums

a) The National Museums on both sides will exchange exhibitions, museum exhibits and museum personnel. Exhibitions may also be organized jointly by the respective museums. Details will be finalized through diplomatic channels.

b) Exchange of the museum's personnel/experts including Curators, Deputy Curators, Research Officer, Assistant Curators and Conservators for a period of four (4) weeks to share the knowledge and expertise in respective fields.

c) Exchange of standard art publications. The details will be finalized through diplomatic channels.

Paragraph 9
Literature

a) The Participants will arrange for the exchange of one delegation of writers on a reciprocal basis. Details of such visits will be jointly decided by the Participants through diplomatic channels.

b) Both Participants will promote the translation of literary works of famous writers and poets in both countries.

Paragraph 10
Research and Documentation

The Participants will facilitate the:

a) Study of the artistic heritage, folklore/folk traditions and narrative forms;
b) Devising of creative activities for cognitive and skill development of the students;
c) Exploring of possibilities of developing educational activities at art academies; museums, cultural centres and educational institutions for children;
d) Development of audio-visual and printed educational materials for students and teachers to have better understanding of tangible and intangible art forms of both countries.
e) Documentation of the arts, museum objects and production of cultural resources of both countries.

Paragraph 11
Science Museums and Centres

(a) Both Participants will exchange one senior level Science Communication professional to study science centres / museums and non-formal science education programmes in India and in Seychelles.

(b) Both Participants will exchange visits of professionals, on reciprocal basis, to study at National Council of Science Museum/Centre for identifying and strengthening

collaborative avenues for development of interactive science centres & non-formal science learning centres, among others. The duration of the visits will be one week each.

Paragraph 12
Anthropology

The Participants will exchange visits of experts in anthropology of different institutes of both countries. The details of such exchanges will be mutually agreed upon by the Participants through diplomatic channels.

Paragraph 13
Festivals

The Participants will conduct festivals in each other's country, which will include the exchange of tours of performing arts groups of multiple participants from each side. The details of these tours and other activities included will be developed on the basis of reciprocity and on provisions jointly decided upon by the Participants through mutual consultations.

Paragraph 14
Mass Media

a) Both Participants will exchange programmes depicting various facets of life and culture in the two countries through their respective radio and TV organizations.

b) Both Participants will endeavour to strengthen relations between their national broadcasting organizations by exchange of programmes, professionals and by utilizing training expertise and facilities available in respective country. Details of such exchange will be jointly decided upon by the Participants through diplomatic channels.

c) The Participants will invite each other to its respective International Film Festivals.

d) Similarly, the Participants will cooperate in the development of the filming and audiovisual industry in Seychelles through the exchange of skills, expertise, and technical knowledge, drawing on India's experience in film production, and supporting Seychelles' efforts to strengthen local capacity, professional competencies, and sustainable industry practices.

Paragraph 15
Youth Programmes

The Participants will encourage the exchange of youth programmes, participation in youth festivals in either country, visits of the officials in charge of the Youth Affairs, sharing of experiences, skills, techniques, information and knowledge in the areas of cooperation in youth affairs and participation of youth in seminars and conferences organized in both the countries on youth related issues.

Paragraph 16
Arrangements for the Exchanges

1. The following will apply to the exchange of individuals, delegations, exhibitions and materials:

(a) Individuals:

Every Participant will send to the other Participant the bio-data, including languages spoken and proposed itinerary, at least two (2) months in advance of the expected date of visit of the delegation or individuals selected under this Programme, and bio-data of performing groups at an exhibition four (4) months in advance. The receiving Participant will inform the other side when receiving or postponing the date at least one(1) month in advance.

(b) Exhibitions:

Separate arrangements will be concluded between the promoting Participant and the receiving Participant with regard to exhibitions. The sending side will inform the receiving country about the technical details of the proposed exhibition. The necessary information for the elaboration of the corresponding catalogue must be sent three(3) months before the inauguration date. The art exhibits must arrive at their destination fifteen (15) days before the opening of the exhibition.

(c) Exchange of materials:

Each contracting Participant will be permitted to use the materials exchanged in the fields of information, mass media in its own programmes and such materials should not be divulged by the receiving Participant to a third Party.

2. Finances:

During exchange visits, the sending Participant will provide international travel expenses for representatives of groups, delegations or performing groups, while the receiving Participant will provide board, food and internal travel expenses, as well as emergency expenses. The size of the visiting Participant's representatives will be jointly decided prior to the exchange visit.

3. One-month duration visits:

The sending Participant will provide international travel expenses in respect of their performing groups and delegation in case of visits for a period not exceeding one month. The receiving side will provide hospitality, which includes free board and lodging, internal travel expenses and free medical care in case of sudden illness. This is applicable in respect of both the Participants.

Paragraph 17
Miscellaneous

1. Any dispute between the Participants arising out of the interpretation, application or implementation of this Cultural Exchange Programme will be settled amicably through consultation or negotiations between the Participants.

2. The specifications of this Cultural Exchange Programme will not preclude the Participants from deciding through the diplomatic channel, on other arrangements which they may deem desirable.

3. The present Programme does not create obligations under international law.

4. The Program can be reviewed or amended at any time by mutual written consent of the Participants through diplomatic channels. Such revisions or amendments will be effective on the date determined by the Participants

Paragraph 18
Come into Effect, Duration and Termination

1. This Programme will become effective from the date of its signature by the Participants and will remain valid for a period of four (4) years.

2. Either Participant may terminate this Programme by giving written notice to the other Participant six(6) months in advance. The termination of this Programme will not prejudice the completion of any on-going activities and projects under this Programme, unless the Participants decide otherwise.

Signed at New Delhi, on this 8th day of February 2026, in two sets of originals, each in Hindi and English languages, all texts being equally valid. In case of any divergence of interpretation, the English text will prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

Shri Rohit Rathish
High Commissioner Of India
To The Republic Of Seychelles

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SEYCHELLES

Mrs. Lalatiana Accouche
High Commissioner of Seychelles
To The Republic of India

भारत गणराज्य की सरकार
तथा
सेशल्स गणराज्य की सरकार
के बीच
वर्ष 2026-2030 के लिए
सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम

भारत गणराज्य की सरकार तथा सेशल्स गणराज्य की सरकार (जिन्हें इसके पश्चात् संयुक्त रूप से ''दोनों भागीदार'' और पृथक रूप से ''भागीदारी'' कहा गया है);

22 दिसम्बर, 1987 को नई दिल्ली में 'सेशल्स गणराज्य की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच हस्ताक्षारित सांस्कृतिक सहयोग करार' का **स्मरण करते हुए** और;

उस करार के निरंतर कार्यान्वयन को मान्यता देते हुए;

दोनों भागीदार के सांस्कृतिक संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए इनके बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को सुदृढ़ करने की **इच्छा से**;

वर्ष 2026-2030 की अवधि के लिए निम्नलिखित सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम पर सहमत हुई हैं :

अनुच्छेद 1
संगीत और नृत्य

दोनों भागीदार, शास्त्रीय और लोक मंडलियों सहित संगीत और नृत्य मंडलियों और/या व्यक्तिगत रूप से कला प्रस्तुति करने वाले कलाकारों, प्रत्येक का अधिकतम दस (10) दिनों की अवधि के लिए आदान-प्रदान करेंगे। ऐसे आदान-प्रदान की तारीखें और अन्य ब्यौरे राजनयिक चैनलों के माध्यम से भागीदार द्वारा परस्पर सहमति के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे।

अनुच्छेद 2
रंगमंच

क) दोनों भागीदार, परस्पर रूप से सहमत शर्तों पर दोनों देशों में रंगमंच प्रस्तुतियों के आदान-प्रदान और स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय रंगमंच महोत्सवों में सहभागिता को प्रोत्साहित करेंगे और इसे सुविधाजनक बनाएंगे।

ख) दोनों भागीदार, संयुक्त रूप से सहमत शर्तों पर दोनों देशों के बीच पारस्परिक आधार पर रंगमंच संबंधी पत्रिकाओं और प्रकाशनों का आदान-प्रदान करेंगे।

अनुच्छेद 3

कला

दोनों भागीदार, पारस्परिक आधार पर और आपस में सहमत शर्तों पर समकालीन और आधुनिक कला प्रदर्शनियों का आदान-प्रदान करेंगे।

अनुच्छेद 4
प्रदर्शनी, संगोष्ठी और सम्मेलन

प्रत्येक भागीदार, संस्कृति और कला से संबंधित अन्य मंचों के साथ-साथ तत्संबंधी संगोष्ठियों, विचार-गोष्ठियों, सम्मेलनों, शिविरों, आवासीय कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए दूसरे भागीदार के विशेषज्ञों को आमंत्रित करेगा।

अनुच्छेद 5
पुरातत्व विज्ञान

क) दोनों भागीदार, दोनों देशों की सांस्कृतिक विरासत की संरक्षा, संरक्षण और संवर्धन के क्षेत्र में सहयोग का समर्थन करेंगे।

ख) दोनों भागीदार, दो सप्ताह की अवधि के लिए प्राचीन स्मारकों और पुरातत्वीय स्थलों, कला वस्तुओं की संरक्षा और संरक्षण तथा पुरातत्वीय स्थल संग्रहालयों के विकास के क्षेत्र, प्रत्येक में एक-एक विशेषज्ञ का आदान-प्रदान करेंगे, जिसके ब्यौरे राजनयिक चैनलों के माध्यम से दोनों भागीदार द्वारा आपस में तय किए जाएंगे।

अनुच्छेद 6
अभिलेखागार

क) दोनों भागीदार, संबंधित संग्रहों में पुन: पूर्ति के लिए भारत के अभिलेख़ागार में सेशल्स के इतिहास और सेशल्स के अभिलेखागार में भारत के इतिहास से संबंधित सूचना और प्रलेखन के साथ-साथ दोनों भागीदार के हितों से संबंधित दस्तावेजों की प्रतियों (डिजिटल प्रतियों सहित) का आदान-प्रदान करेंगे। आदान-प्रदान से संबंधित कार्यविधियां आपसी परामर्श से तय की जाएंगी।

ख) दोनों भागीदार, अभिलेख प्रबंधन, अभिलेखागार प्रशासन और अभिलेखों के संरक्षण, डिजिटलीकरण और डिजिटल परिरक्षण के क्षेत्र में, प्रत्येक मामले में, एक सप्ताह की अवधि के लिए विशेषज्ञों का आदान-प्रदान करेंगे।

ग) भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार, अभिलेखीय अध्ययन विद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों में सेशल्स के अधिकारियों और विद्यार्थियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करेगा। इसी प्रकार, दोनों भागीदार अभिलेखीय संरक्षण में कौशल और विशेषज्ञता, विशेषकर सेशल्स में नए अभिलेखीय अवसंरचना की स्थापना और विकास के संबंध में सेशल्स के राष्ट्रीय अभिलेखागार और भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के बीच सहयोग को बढ़ावा देंगे।

अनुच्छेद 7
पुस्तकालय

क) दोनों भागीदार, पारस्परिक आधार पर एक-दूसरे के हित के प्रकाशनों और अन्य पठन सामग्रियों का आदान-प्रदान करेंगे।

ख) दोनों भागीदार, दोनों देशों के बीच पुस्तकालयी कार्यकलापों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से परस्पर रूप से पुस्तकालय विशेषज्ञों के दौरों के आदान-प्रदान में सहायता करेंगे। तत्संबंधी ब यौरों को राजनयिक चैनलों के माध्यम से अंतिम रूप दिया जाएगा।

अनुच्छेद 8
संग्रहालय

क) दोनों भागीदार के राष्ट्रीय संग्रहालय प्रदर्शनियों, संग्रहालय प्रदर्शों तथा संग्रहालय कार्मिकों का आदान-प्रदान करेंगे। संबंधित संग्रहालयों द्वारा संयुक्त रूप से प्रदर्शनियां भी आयोजित की जा सकती हैं। आदान-प्रदान के ब्यौरों को राजनयिक चैनलों के माध्यम से अंतिम रूप दिया जाएगा।

ख) संबंधित क्षेत्रों में ज्ञान और विशेषज्ञता को साझा करने के लिए चार (4) सप्ताह की अवधि के लिए संग्रहाध्यक्षों, उप संग्रहाध्यक्षों, अनुसंधान अधिकारियों, सहायक संग्रहाध्यक्षों एवं संरक्षकों सहित संग्रहालय के कार्मिकों/विशेषज्ञों का आदान-प्रदान किया जाएगा।

(ग) मानक कला प्रकाशनों का आदान-प्रदान। तत्संबंधी ब्यौरों को राजनयिक माध्यमों से अंतिम रूप दिया जाएगा।

अनुच्छेद 9
साहित्य

क) दोनों भागीदार, परस्पर आधार पर एक लेखक प्रतिनिधिमंडल के आदान-प्रदान की व्यवस्था करेंगे। ऐसे दौरों के ब्यौरे राजनयिक चैनलों के माध्यम से दोनों भागीदार द्वारा संयुक्त रूप से तय किए जाएंगे।

ख) दोनों भागीदार, दोनों देशों के प्रसिद्ध लेखकों और कवियों की साहित्यिक रचनाओं के अनुवाद को प्रोत्साहित करेंगे।

अनुच्छेद 10
अनुसंधान और प्रलेखन

दोनों पक्ष निम्नलिखित को सुविधाजनक बनाएंगे :

क) कलात्मक विरासत, लोक साहित्य/लोक परम्पराओं तथा कथा रूपों का अध्ययन;

ख) विद्यार्थियों के ज्ञानात्मक तथा कौशल विकास के लिए रचनात्मक कार्यकलापों को तैयार करना;

ग) बच्चों के लिए कला अकादेमियों, संग्रहालयों, सांस्कृतिक केन्द्रों और शैक्षिक संस्थाओं में शैक्षणिक कार्यकलापों को विकसित करने की संभावनाओं का पता लगाना;

घ) दोनों देशों के मूर्त और अमूर्त कला रूपों की बेहतर समझ के लिए विद्यार्थियों और अध्यापकों के लिए श्रव्य-दृश्य तथा मुद्रित शैक्षिक सामग्रियों का विकास करना;

ड.) दोनों देशों की कला, संग्रहालय वस्तुओं का प्रलेखन करना तथा सांस्कृतिक संसाधनों का निर्माण करना।

अनुच्छेद 11
विज्ञान संग्रहालय/केन्द्र

(क) दोनों भागीदार, भारत में और सेशल्स में विज्ञान केन्द्रों/संग्रहालयों एवं गैर-औपचारिक विज्ञान शिक्षा कार्यक्रमों के अध्ययन के लिए वरिष्ठ स्तर के एक विज्ञान संचार पेशेवर का आदान-प्रदान करेंगे।

(ख) दोनों भागीदार, अन्य बातों के साथ-साथ संवादमूलक विज्ञान केन्द्रों एवं गैर-औपचारिक विज्ञान शिक्षण केन्द्रों आदि के विकास हेतु सहयोगात्मक क्षेत्रों की पहचान और सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद/केन्द्र में अध्ययन करने के लिए परस्पर रूप से पेशेवरों का आदान-प्रदान करेंगे। प्रत्येक के लिए इन दौरों की अवधि एक सप्ताह की होगी।

अनुच्छेद 12
मानवविज्ञान

दोनों भागीदार, दोनों देशों की विभिन्न संस्थाओं के 'मानवविज्ञानविदों' के दौरों का आदान-प्रदान करेंगे। ऐसे आदान-प्रदान के ब्यौरे राजनयिक चैनलों के माध्यम से दोनों भागीदार द्वारा आपस में तय किए जाएंगे।

अनुच्छेद 13
महोत्सव

दोनों भागीदार, एक-दूसरे के देश में महोत्सव आयोजित करेंगे, जिसमें प्रत्येक पक्ष के बहु प्रतिभागियों वाले मंचकला समूहों के दौरों का आदान-प्रदान शामिल होगा। शामिल किए गए इन दौरों तथा अन्य

कार्यकलापों के ब्यौरे आपसी परामर्श के माध्यम से पारस्परिकता के आधार पर और दोनों भागीदार द्वारा संयुक्त रूप से निर्धारित प्रावधानों के अनुसार तैयार किए जाएंगे।

अनुच्छेद 14
जन संचार

क) दोनों भागीदार, अपने संबंधित रेडियो और टेलीविजन संगठनों के माध्यम से दोनों देशों के जीवन और संस्कृति के विविध पहलुओं का चित्रण करने वाले कार्यक्रमों का आदान-प्रदान करेंगे।

ख) दोनों भागीदार, अपने-अपने देश में उपलब्ध प्रशिक्षण विशेषज्ञता तथा सुविधाओं का उपयोग करते हुए कार्यक्रमों, व्यावसायिकों के आदान-प्रदान और संबंधित देश में उपलब्ध प्रशिक्षण विशेषज्ञता और सुविधाओं के उपयोग द्वारा अपने राष्ट्रीय प्रसारण संगठनों के बीच संबंध मजबूत करने का प्रयास करेंगे। ऐसे आदान-प्रदान के ब्यौरे राजनयिक चैनलों के माध्यम से दोनों भागीदार द्वारा संयुक्त रूप से निर्धारित किए जाएंगे।

ग) दोनों भागीदार, अपने-अपने अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सवों में एक-दूसरे को आमंत्रित करेंगे।

घ) इसी प्रकार, दोनों भागीदार फिल्म निर्माण में भारत के अनुभव का लाभ उठाते हुए और स्थानीय क्षमता, पेशेवर दक्षताओं और टिकाऊ उद्योग पद्धतियों को सुदृढ़ करने हेतु सेशल्स के प्रयासों का समर्थन करते हुए, कौशल, विशेषज्ञता और तकनीकी ज्ञान के आदान-प्रदान के माध्यम से सेशल्स में फिल्म निर्माण और दृश्य-श्रव्य उद्योग के विकास में सहयोग करेंगे।

अनुच्छेद 15
युवा कार्यक्रम

दोनों भागीदार, युवा कार्यक्रमों के आदान-प्रदान, एक-दूसरे के देश में युवा महोत्सवों में भागीदारी, युवा कार्य के प्रभारी अधिकारियों के दौरे, युवा कार्य में सहयोग के क्षेत्रों में अनुभव, कौशल, तकनीकों, सूचना और ज्ञान के सहभाजन और युवाओं से संबंधित मुद्दों पर दोनों देशों में आयोजित संगोष्ठियों और सम्मेलनों में युवाओं की सहभागिता को प्रोत्साहित करेंगे।

अनुच्छेद 16
आदान-प्रदान हेतु व्यवस्थाएं

1. व्यक्तियों, प्रतिनिधिमंडलों, प्रदर्शनियों और सामग्रियों के आदान-प्रदान पर निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी:

क) व्यक्ति:

प्रत्येक भागीदार, इस कार्यक्रम के तहत चुने गए प्रतिनिधिमंडल अथवा व्यक्तियों के दौरे की संभावित तारीख से कम से कम दो (2) माह पूर्व दूसरे पक्ष को जीवन-वृत्त (बोली जाने वाली भाषा तथा प्रस

तावित यात्रा कार्यक्रम सहित) भेजेगा तथा प्रदर्शनी में प्रदर्शन करने वाले मंचकला समूहों का जीवन-वृत चार (4) माह पहले भेजेगा। मेजबान पक्ष, दूसरे पक्ष को कम से कम एक (1) माह पहले उक्त तारीख की स्वीकृति अथवा तारीख आगे बढ़ाने की सूचना देगा।

ख) प्रदर्शनियां:

प्रदर्शनियों के आदान-प्रदान के संबंध में प्रेषक पक्ष और मेज़बान पक्ष के बीच अलग से व्यवस्थाएं की जाएंगी। प्रेषक पक्ष प्रस्तावित प्रदर्शनी के तकनीकी विवरण के बारे में मेजबान पक्ष को सूचित करेगा। समरूप सूचीपत्र के विस्तृत विवरण संबंधी आवश्यक सूचना उद्घाटन की तारीख से तीन (3) माह पहले अवश्य भेजी जानी चाहिए। कला प्रदर्श, प्रदर्शनी शुरू होने से पन्द्रह (15) दिन पहले उनके गंतव्य स्थल तक अवश्य पहुँच जाने चाहिए।

ग) सामग्रियों का आदान-प्रदान:

इस कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित सामग्रियों के आदान-प्रदान हेतु प्रत्येक संविदाकारी भागीदार को सूचना और जन संचार के क्षेत्रों में आदान-प्रदान की गई सामग्रियों को अपने कार्यक्रमों में उपयोग करने का अधिकार होगा और ऐसी सामग्रियों को मेजबान भागीदार द्वारा किसी तीसरे पक्ष को नहीं दिया जाना चाहिए।

2. वित्त व्यवस्था:

इस कार्यक्रम के अंतर्गत आदान-प्रदान दौरों के दौरान, प्रेषक भागीदार समूहों, प्रतिनिधिमंडलों या प्रदर्शन समूहों के प्रतिनिधियों के लिए अंतरराष्ट्रीय यात्रा व्यय प्रदान करेगा, जबकि मेजबान भागीदार भोजन, आवास और आंतरिक यात्रा व्यय के साथ-साथ आपातकालीन व्यय प्रदान करेगा। आने वाले भागीदार के प्रतिनिधियों की संख्या आदान-प्रदान दौरे से पहले संयुक्त रूप से तय की जाएगी।

3. एक माह की अवधि के दौरे :

एक माह से अनधिक अवधि के दौरों के मामले में, प्रेषक भागीदार अपने मंच समूहों और प्रतिनिधिमंडल के संबंध में अंतरराष्ट्रीय यात्रा व्यय प्रदान करेगा। मेजबान भागीदार द्वारा आतिथ्य प्रदान किया जाएगा, जिसमें नि:शुल्क आवास, भोजन, आंतरिक यात्रा व्यय, अचानक अस्वस्थता की स्थिति में नि:शुल्क चिकित्सा देखभाल के साथ-साथ आकस्मिक व्यय शामिल होगा। यह दोनों भागीदार के संबंध में लागू है।

अनुच्छेद 17
विविध

1. दोनों भागीदार के बीच इस कार्यक्रम की व्याख्या, अनुप्रयोग या कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद का निपटारा दोनों भागीदार के बीच परामर्श या बातचीत के माध्यम से सौहार्दपूर्ण तरीके से किया जाएगा।

2. इस सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के उपबंध दोनों भागीदार को अन्य व्यवस्थाओं पर, जिसे वे वांछित समझें, राजनयिक चैनलों के माध्यम से सहमत होने के लिए प्रतिबंधित नहीं करेंगे।

3 वर्तमान कार्यक्रम अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत बाध्यकारी नहीं है।

4 इस कार्यक्रम को राजनयिक चैनल के माध्यम से दोनों भागीदार के बीच पारस्परिक लिखित सहमति के द्वारा किसी भी समय समीक्षित या संशोधित किया जा सकता है। ऐसे संशोधन या परिवर्तन दोनों भागीदार द्वारा निर्धारित तारीख को प्रभावी होंगे।

अनुच्छेद 18

प्रवर्तन, अवधि और समापन

1 यह कार्यक्रम दोनों भागीदार द्वारा इस पर हस्ताक्षर करने की तारीख से प्रभावी होगा और यह चार (4) वर्ष की अवधि तक वैध रहेगा।

2 दोनों में से कोई भी भागीदार अन्य भागीदार को इस कार्यक्रम को समाप्त करने के अपने आशय की लिखित सूचना छः (6) माह पूर्व देते हुए समाप्त कर सकता है। इस कार्यक्रम के समाप्त होने से, इस कार्यक्रम के अंतर्गत पहले से जारी कार्यकलापों को पूरा होने से नहीं रोका जाएगा जब तक दोनों भागीदार अन्यथा निर्णय न लें।

इस कार्यक्रम पर नई दिल्ली में फरवरी 2026 के 8th को हिंदी और अंग्रेजी भाषा में, प्रत्येक की दो-दो मूल प्रतियों पर हस्ताक्षर किए गए। इसके सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। निर्वचन में किसी विभेद की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

भारत गणराज्य की सरकार की ओर से	**सेशल्स गणराज्य की सरकार की ओर से**
श्री रोहित राथिश **सेशेल्स गणराज्य में भारत के उच्चायुक्त**	**श्रीमती ललाटियाना एकौचे** **सेशल्स की उच्चायुक्त भारत गणराज्य को**